दिनांकः 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ लूट के मुकदमें वांछित एक घायल बदमाश सहित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी मोटरसाइकिल, अवैध असलाह/कारतूस व चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में लूट/नकबजनी/चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 02.11.2024 को थाना प्रभारी नानौता को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 03 संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में तिलफरा नहर के पास घूम रहे है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नानौता मय पुलिस टीम द्वारा तिलफरा नहर पुल के पास गश्त/चैकिंग की जा रही थी । तभी जड़ौदा पाण्डा की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार 03 व्यक्ति आते दिखाई दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर रूकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो ने शोर मचाते हुए कहा कि पुलिस है गोली मारो और भागो और मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके ग्राम जन्धेडी चन्देनामाल की ओर भागने लगे तो पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, पुलिस टीम द्वारा घायल/गिरफ्तार बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी नानौता भर्ती कराया गया । घायल बदमाश की पहचान **सुमित पुत्र राजबीर निवासी ग्राम शीतलगढी थाना झिझाना जनपद शामली के रूप में हुई ।** अभियुक्त के 02 अन्य साथियों **अभियुक्त मनीष पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिझांना जनपद शामली** व **सचिन पुत्र जगपाल निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली** को मौके से भागते हुए ईख के खेत से काम्बिंग कर गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गयी मोटरसाइकिल स्पेलण्डर रंग काला UP11 AL 0719, 02 अवैध देशी तमंचे, 02 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 चाकू बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । **तीनो अभियुक्त थाना नानौता पर पंजीकृत लूट के मु0अ0सं0 253/24 धारा 309(4) बी.एन.एस में वांछित चल रहे थे ।** गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 25.10.2024 को यह जो मोटरसाइकिल हम लोगो ने अपने एक अन्य साथी रोहित के साथ मिलकर ग्राम खुडाना रेलवे लाईन के पास नहर पटरी से एक आदमी से लूटी थी तथा उससे एक मोबाइल और दो ए.टी.एम भी लूट लिए थे। मोबाइल व ए.टी.एम रोहित के पास है । हम लोगो ने सोचा कि जब कभी हम लोगो को कोई घटना करनी होगी तो इसी मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करेंगें इसलिए मोटरसाइकिल हम लोगो ने अपने पास रख ली थी । हम तीनों लोग आज भी किसी शिकार की तलाश में इसी लूटी गयी मोटरसाइकिल को लेकर घूम रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सुमित पुत्र राजबीर निवासी ग्राम शीतल गढी थाना झिझाना जनपद शामली
2. मनीष पुत्र लोकेन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिझांना जनपद शामली

3. सचिन पुत्र जगपाल निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली

अभियुक्त सुमित उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 23/23 धारा 307 भा.द.वि. व 3/25 आर्मस एक्ट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली
2. मु0अ0सं0 108/23 धारा 2/3 गैगस्ट्रर एक्ट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली
3. मु0अ0सं0 19/23 धारा 392/411/120 बी भा.द.वि. थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली

अभियुक्त मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 259/24 धारा 109, 317(2) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता, सहारनपुर

अभियुक्त सचिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 259/24 धारा 109, 317(2) बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नानौता, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 02 अवैध तमंचे 315 बोर
- 02 खोखा/02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद चाकू
- 01 लूटी गयी मोटरसाइकिल UP11AL0719 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 253/24 धारा 309(4) बीएनएस थाना नानौता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पुनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 (प्रशिक्षु) श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1047 सतीश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है0का0 829 सुमित थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक- 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर बदमाश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर असलाह/कारतूस व 100 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.11.24 को गश्त व चैकिंग के दौरान ग्राम भैरमऊ की ओर से रणदेव रोड पर दो संदिग्ध व्यक्तियो को आता देख रूकने को कहा गया तो दोनो व्यक्ति ईख के खेत की तरफ भागने लगे, इस पर पुलिस टीम द्वारा जब संदिग्ध व्यक्तियो का पीछा किया गया तो उन्होने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए घेराबन्दी कर 01 शातिर **अभियुक्त कादिर पुत्र इरशाद उर्फ मदन निवासी ग्राम बाईखेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 100 ग्राम नशीला पदार्थ (स्मैक) सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त कादिर का एक अन्य साथी घनी ईख व अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 394/24 धारा 109/111 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट** के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त कादिर थाना नकुड़ पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 325/24 धारा 109/111 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वाँछित चल रहा था** । जिसके द्वारा अपने 04 अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 18.09.24 को भी जंगल ग्राम बाईखेडी में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी । जिनमें से एक अभियुक्त जुबेर पुत्र बदरूद्दीन निवासी गढी दौलत थाना कांधला जिला शामली को मौके पर ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । अभियुक्त कादिर एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर जनपद सहारनपुर में कई अपराधिक मुकदमें दर्ज है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त कादिर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मेरा स्मैक बेचने का काम है, इस काम में मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है । आज भी मैं अपने साथी जुबेर जो भाग गया है, के साथ मिलकर स्मैक बेचने के लिए जा रहा था कि सामने से पुलिस को देख हम दोनो घबरा गये और ईख के खेत की तरफ भागने लगे और पुलिस से बचने के लिए हम दोनो ने फायरिंग कर दी तथा मेरी जेब में जो स्मैक की पॉलीथीन थी वह मैने वही ईख के खेत में फैंक दी थी । जो मैने आप लोगो को बरामद करा दी है । मैं दिनाक 18.09.24 को भी अपने साथी जुबेर व 03 अन्य साथियों के साथ मिलकर स्मैक बेचने के लिए बाईखेड़ी जाने वाले रास्ते पर खड़ा था, वहाँ पर भी हमें पुलिस वालो ने देख लिया था तो हमने उस दिन भी पकड़े जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग कर ईख के खेत में घुस गये थे और भाग गये थे, लेकिन मेरा साथी जुबेर पकड़ा गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता:-

कादिर पुत्र इरशाद उर्फ मदन निवासी ग्राम बाईखेडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 देशी तमंचा .315 बोर
- 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 100 ग्राम नशीला पदार्थ (स्मैक)

अभियुक्त कादिर का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 17/24 धारा 307/323/34/504/506 भादवि व 3/25/37 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़ , सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 18/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 325/24 धारा 109/111 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़, स0पुर
4. मु0अ0स0 26/24 धारा 307/414/465 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 618 अंकुर अहलावत थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. का0 2082 तुषार अधाना थाना नकुड जनपद सहारनपुर5
6. का0 2238 मुकेश थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा सरकारी कार्य मे बाधा डालने व पुलिस कर्मियों से अभद्रता के मामलें में वांछित 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2024 को वादी हे0का0 नीटू कुमार थाना बिहारीगढ़ की लिखित तहरीर बाबत बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 30.10.2024 को रात्रि में गश्त/चैकिंग के दौरान कस्बा बिहारीगढ फ्लाईओवर के नीचे 05 व्यक्ति हाथ में डण्डे लेकर हंगामा कर रहे थे, तो पुलिस टीम द्वारा उन्हें टोका गया व कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मौके से जाने के लिये कहा गया तो सभी अभियुक्तो द्वारा सरकारी कार्य बाधित करने और पुलिस टीम के साथ अभद्रता करने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/3(5)/121(1)/132 बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहानरपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीग़ढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त त्वरित कार्यवाही करते हुए सरकारी कार्य में बाधा ड़ालने व पुलिस कर्मियो से अभद्रता के मुकदमें में **वांछित 04 अभियुकगण 1. अमन उर्फ विपुल पुत्र सुनील गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर, 2. वैभव गोयल पुत्र संजय गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर, 3. कमल गोयल पुत्र अनिल गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर व 4. अंकित गोयल पुत्र अनिल गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को कस्बा बिहारीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। शेष 01 अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अमन उर्फ विपुल पुत्र सुनील गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. वैभव गोयल पुत्र संजय गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. कमल गोयल पुत्र अनिल गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. अंकित गोयल पुत्र अनिल गोयल नि0 कस्बा व थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विनोद तेवतिया थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 686 अंकित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 2565 उमेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. का0 2226 अमित कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांक - 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 2860/- रूपये नकद व 01 जोड़ी कान की झुमकी (पीली धातू) बरामद

अवगत कराना है कि दि0 10.10.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री विकास पुत्र विश्मबर सिंह निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से कुछ सोने की ज्वैलरी, मंगलसूत्र, झुमकी आदि चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 311/24 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.10.2024 को वादिया साजिदा पत्नी कुरबान निवासी मौ0 कस्सावान थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से टूल्लु पम्प, सिलाई मशीन, एक गैस सिलेन्डर, टाईल काटने की मशीन, तांबे/पीतल के बर्तन व 15000 रुपये नगद, 02 पाजेब व 02 हार चांदी के चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 323/24 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछि/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे दिनांक 02.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमो में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर/**अभियुक्त मोहसीन पुत्र जमील नि0 मौ0 कस्यावान जुमा मस्जिद के पास कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को 2300/- रूपये व 01 जोडी झूमकी पीली धातू (सम्बन्धित मु0अ0स0 323/24 धारा 305(A) BNS) व 560/- रूपये (सम्बन्धित मु0अ0स0 311/2024 धारा 305(A) BNS) सहित अमहदपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिस पर लगभग थाना सरसावा पर लगभग आधा दर्जन मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ और पिछले महिने की 21 तारीख की रात में मैने व मेरे 02 अन्य साथियों ने मिलकर साजिदा के घर में चोरी की थी। मेरे साथी सुल्तान व शहनवाज उर्फ सैंटी दिनांक 23.10.2024 को चोरी के सामान के साथ पकडे गये थे तथा मैं मौके से भाग गया था। उस समय चोरी की मोटरसाइकिल भी हमारे पास थी। हम तीनो ने मिलकर एक मो0साइकिल स्प्लेन्डर नं0 HR02AP5722 जगाधरी कोर्ट के बाहर से चोरी की थी। मेरे दोनो साथी पकडे जा चुके है। मैं बचकर भाग गया था। मैने ग्राम सौराना में रविदास मन्दिर के पास एक घर से दिनांक 10.10.2024 को भी चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहसीन पुत्र जमील नि0 मौ0 कस्यावान जुमा मस्जिद के पास कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 560/- रूपये (सम्बन्धित मु0अ0स0 311/2024 धारा 305(A)/ 317(2) BNS)

- 2300/- रू व 01 जोडी झूमकी पीली धातू (सम्बन्धित मु0अ0स0 323/24 धारा 305(A)/317(2)/317(5) BNS)

अभियुक्त मोहसीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 311/2024 धारा 305(A)/317(2) BNS थाना सरसावा
2. मु0अ0स0 323/2024 धारा 305(A)/317(2)/ 317(5) BNS थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 372/2017 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 293/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा
5. मु0अ0सं0 126/2024 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा
6. मु0अ0सं0 132/2024 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हैका0 25 जयप्रकाश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. हैका0 1128 राजेन्द्र कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक - 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमलें के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा/कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री रविन्द्र पुत्र रमेश निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शेर सिंह पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र मंयक उम्र करीब 15 वर्ष के साथ गाली गौलच करने व गाली देने से मना करने पर मंयक के उपर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 609/2024 धारा 115(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक देवबन्द को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में जानलेवा हमलें के मामले में वांछित **अभियुक्त शेर सिंह पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को बालासुन्दरी मन्दिर की ओर जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के सामने खाली पडे प्लाट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

शेर सिंह पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगीः–

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. है0का0 981 निशान्त कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांकः 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त गुलफाम पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम पीकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 949/19 धारा 379/411/307 भादवि चालानी थाना कोवाली देहात सहारनपुर को ग्राम पीकी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलफाम पुत्र नूरहसन नि0 ग्राम पीकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 526 सनोवर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा जाली मुद्रा प्रयोग करने के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से जाली भारतीय मुद्रा 11000/- रूपये बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा जाली मुद्रा प्रयोग करने के मामलें में वांछित चल रहे 01 शातिर **अभियुक्त प्रताप सिहं खालसा पुत्र कृपाल सिहं निवासी ग्राम डाडवा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 257/24 धारा 178/179/180 बीएनएस में कल्पना तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **जाली भारतीय मुद्रा 11000/- रूपये एवं 410 रूपये नकद बरामद**। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त प्रताप सिंह उपरोक्त ने बताया कि मैं अपने साथी हरियाणा निवासी अजय से नकली नोट ले आता हूँ और अपने आस-पास बाजारो में रोज मर्रा का सामान खरीदने में चला देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

प्रताप सिहं खालसा पुत्र कृपाल सिहं निवासी ग्राम डाडवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

अभियुक्त प्रताप सिहं खालसा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 मु0अ0सं0 257/24, धारा 178/179/180 बीएनएस थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 133/23 धारा 332/504 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- जाली भारतीय मुद्रा 11000/- रूपये
- 410 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विवेक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का0 2519 सर्वेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.11. 2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर नकबजन अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 29.10.2024 को वादी श्री अनिरुध जैन पुत्र नैमचन्द जैन निवासी 1502 निकट बस हाईट पार्क सैक्टर 78, नोएडा गौतमबुद्ध नगर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के मकान में घुसकर घरेलू सामान व जरूरी दस्तावेज चोरी कर लेने के के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 632/24 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **03 शातिर नकबजन/अभियुक्त 1.कलीम पुत्र मुर्सलीन उर्फ नसीम नि0 ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर, 2. साहिल उर्फ तालिब पुत्र गुलफाम नि0 शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर व 3.सोबान उर्फ भोल्ला पुत्र इनाम नि0 शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को विनोद विहार कालौनी मे खाली पडे मैदान से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गये दो लोहे के बक्से रेहडे में रखे बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा /317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने दिनांक 28.10.2024 को दिन में करीब 12 बजे के आस पास यह बक्से और रद्दी हम दोनो ने जैन डिग्री कालेज वाली गली में बंद पडे मकान में से चोरी करके इसी रेहडे मे रखकर लाये थे और आज इस चोरी के माल को हम कबाडी सोबान उर्फ भोल्ला को बेच रहे थे। तथा सोबान कबाडी से पूछा से तो सोबान कबाडी ने बताया कि मै यह चोरी का माल खरीदने आया था। क्योकि मैने इनसे पहले भी चोरी का माल खरीदा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. कलीम पुत्र मुर्सलीन उर्फ नसीम नि0 ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. साहिल उर्फ तालिब पुत्र गुलफाम नि0 शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. सोबान उर्फ भोल्ला पुत्र इनाम नि0 शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सोबान उर्फ भोल्ला का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 537/21 धारा 414/120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जहांगीर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 266 धीरज थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 186 विमल थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 03.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1. इम्तियाज उर्फ मटरू पुत्र दिलशाद निवासी मिद्दे वाली गली खाताखेडी, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 442/22 व मु0अ0सं0 31/22 धारा 08/20 एन.डी.पी.एस एक्ट चालानी थाना मण्डी (मा0 न्यायालय अतिरिक्त जिला एंव सेशन न्यायालय कोर्ट नं0-1 स0पुर) नियत दिनांक 02.12.2024 में **2. सावेज पुत्र फैजान निवासी आजाद कालोनी गली नं0-3, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 69/19 व मु0अ0सं0 278/2018 धारा -135 विधुत अधिनियम चालानी थाना मण्डी स0पुर नियत दिनांक 04.12.2024 सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष नं0-4 स0पुर को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. इम्तियाज उर्फ मटरू पुत्र दिलशाद निवासी मिद्दे वाली गली खाताखेडी, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. सावेज पुत्र फैजान निवासी आजाद कालोनी गली नं0-03, थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 516 सोनु कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2342 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 978 विपिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर